न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/74/18	05–06–2018	14–08–2018

01. राजकपूर पुत्र बलवीर सिंह जाति मेघवाल निवासी ग्राम बीचपुरी तहसील नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी , अलवर (राजस्थान)।

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 24–04–2018 प्रकरण संख्या 07/2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1613/2012

उपस्थितः–

01. श्री बाबूसिंह राधव –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 24–04–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1613/2012 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलीय निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य पेश करने का कोई अवसर प्रदान नही किया गया। अपीलान्ट द्वारा अपने पद का कार्य पूर्ण ईमानदार व मेहनत व लग्न से किया। तहत अदालत द्वारा किसी गलत शिकायत पर अपीलान्ट को 4000 लीटर कैरोसीन व 40 क्विंटल गेहूँ के गबन का गम्भीर आरोप लगाते हुए स्पष्टीकरण चाहने नोटिस दिया गया जिस नोटिस का अपीलान्ट ने सत्यता के आधार पर जवाब नोटिस तहत अदालत के समक्ष पेश कर दिया। तहत अदालत द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों साक्ष्य के विपरीत कानून के विरूद्ध नैसर्गिक एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरीत बिना जॉच पडताल कराये बिना सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए ही गलत आधार पर अपीलान्ट का उचित मूल्य दुकानदार ग्राम बिचपुरी का प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया व दुकानदार की समस्त जमा प्रतिभूति राशि जब्त सरकार

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

किए जाने के आदेश पारित कर दियें। अपीलान्ट को सामग्री वितरण करने के लिए मशीन माह अगस्त 2017 में उपलब्ध कराई और माह अगस्त 2017 व सितम्बर 2017 दो माह 90 क्विंटल गेहूँ वितरीत करने के लिए दिया गया। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं को दो माह का एक साथ गेहूँ वितरीत कर दिया गया किन्तु नई वितरित मशीन में 90 क्विंटल गेहूँ वितरण की एन्ट्री नही हो सकी केवल मशीन में 50 क्विंटल गेहूँ वितरण की एन्ट्री हो सकी, मशीन में 40 क्विंटल गेहूँ की एन्ट्री न होने में अपीलान्ट की कोई दुर्भावना बदयाती नही रही है। गांव की कुछ लोग अपीलान्ट से व्यक्तिगत रंजिश रखते है। अपीलान्ट के विरूद्व कारण बताओं नोटिस दिया जिसका जवाब अपील ने तहत अदालत के समक्ष पेश कर दिया। अपींलान्ट को नई मशीन अगस्त 2017 को मिली और इसके बाद 4 हजार लीटर कैरोसीन तहत अदालत ने अपीलान्ट को वितरण हेतु दिया ही नही तो उसका गबन करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है। अपीलान्ट के विरूद्व झूठा आरोप मनगढन्त लगाया गया है। अपीलान्ट के विरूद्व सम्पूर्ण कार्यवाही राजनैतिक कारण, पारिवारिक रंजिशवश पर बनाया गया है। जिला रसद अधिकारी की मंशा प्रारम्भ से ही अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र निस्तर करने की थी। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निलम्बित करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता नहीं की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निलम्बित किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। अपीलान्ट ने माह सितम्बर 2017 व नवम्बर 2017 में पॉस मशीन में स्टॉक रहते हुए उपभोक्ताओं में वितरण नही किया गया, ग्राम पंचायत बिचपुरी पंचायत समिति नीमराना में प्रस्ताव में अपीलान्ट के द्वारा न तो समय पर दुंकान खोली जाती है और ना ही समय पर लोगों को राशन दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पडता है का प्रस्ताव लिया गया है। अपीलान्ट द्वारा उपभोक्ताओं कई माह से बीपीएल, एपीएल, व अन्त्योदय राशन कार्डधारियों को राशन वितरण नही किया गया। अपीलान्ट के विरूद्व वितरण में गंभीर अनियमितता, उपभोक्ताओं को राशन वितरण नही कराना आदि की ग्राम पंचायत के प्रस्ताव में उल्लेखित गंभीर शिकायक से प्राप्त होने पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद पर विचार किया। अपीलान्ट द्वारा अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है कि अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप भी गंभीर प्रवृत के नही है। जिला रसद अधिकारी अलवर की पत्रावली पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है अपीलान्ट के विरूद्व मनगढत रूप में विरचित किये गये आरोप सिद्व व साबित नही होत है के बावजूद अपीलीय निर्णय पारित किया है जो निरस्त फरमाया जावें। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के अन्तर्गत प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2 व 9 का स्पष्ट उल्लधंन पाये जाने के कारण प्राधिकार पत्र निरस्त किया है एवं प्रतिभूति राशि जब्त की है। तहत अदालत में अपीलान्ट द्वारा समय पर दुकान नही खोलना और न ही समय पर उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण का कोई युक्तियुक्त एवं औचित्यपूर्ण कारण प्रगट नहीं किया है। अपीलान्ट इस तथ्य को साबित करने असमर्थ रहा है। हम तहत अदालत के पारित निर्णय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

जिला रसद अधिकारी, अलवर के निर्णय दिनांक 24–04–2018 यथावत रखा जाता है। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत अदालत को वापिस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 14–08–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुंले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)